न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3533–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–8–2013 पारित द्वारा तहसीलदार वृत मेहरा तहसील ग्वालियर प्रकरण कमांक 65/12–13/अ–6 नया नम्बर 86/12–13/अ–6.

बालकिशन पुत्र स्व. श्री गनपतिया जाटव
निवासी ग्राम वडोरी
तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

श्री राम नाथ फार्म सुटिकल इण्डिया प्रा. लि.
द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर
शिव नारायण सिंह पुत्र रामनाथ सिंह कुशवाह
निवासी ग्वालियर ए.टी.एम. यूनिवर्सिटी सिथौली ..... अनावेदक

.....

श्री जी.एस. वनाफर, अभिभाषक, आवेदक
श्री पी.एन. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/10/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार वृत मेहरा तहसील ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, तहसील ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बडौरी पटवारी हल्का नं. 83 स्थित सर्वे कमांक 314 रकबा 0.060 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 317 रकबा 0.060 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 322 रकबा 0.200 हेक्टेयर कुल रकबा 0.320 हेक्टेयर भूमि को उसके द्वारा विकेता राजेन्द्रसिंह तोमर से रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 1–2–2013 द्वारा

क्रय की गई है । अतः वादग्रस्त भूमि का नामांतरण उसके नाम किया जाये । तहसीलदार, तहसील ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 65/12–13/अ–6 जिसका नया नम्बर 86/12–13/अ–6 है, दर्ज कर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई । पेशी दिनांक 30–7–2013 को अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया । तदोपरान्त अनावेदक द्वारा दिनांक 24–8–2013 को संहिता की धारा 35 (3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 24–8–2013 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 35 (3) का आवेदन पत्र जिस दिनांक को प्रस्तुत किया था, तहसील न्यायालय द्वारा उसी दिनांक को आवेदक को बिना सूचना एवं बिना सुनवाई के संहिता की धारा 35 (3) का आवेदन पत्र स्वीकार करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 35 (3) के आवेदन पत्र के साथ कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, अतः उक्त आवेदन पत्र विचार योग्य ही नहीं था । तर्क में यह भी कहा गया कि मूल भूमिस्वामी ने कोई रजिस्ट्री नहीं की है और न ही कोई आदेश है, क्योंकि पट्टे की भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक की आपत्ति इंफेक्च्युअस नेचर की है, जिसकी लोकस स्टेंडाई नहीं है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 35 (3) का आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अभी तहसील न्यायालय द्वारा केवल अदम पैरवी में खारिज प्रकरण को पुनः सुनवाई में लिया गया है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर प्राप्त है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उनके द्वारा क्रय की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा जिस दिनांक 30–7–2013 को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है, उस दिनांक को आवेदक उपस्थित नहीं था, इसलिये प्रकरण पुर्नस्थापन करने में उसे सुने जाने की आवश्यकता नहीं थी । तहसीलदार के समक्ष अनावेदक की ओर से समय सीमा में प्रकरण पुर्नस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा प्रकरण पुर्नस्थापित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । सामान्यतः प्रकरण का निराकरण अदम पैरवी जैसे तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर गुणदोष पर किया जाना चाहिए, जिससे पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । दर्शित परिस्थितियों तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार वृत मेहरा, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर